

राजस्थान सरकार  
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांक:-एफ 7(53)/परि/नियम/मु./2020/कमेटी/1577/2160जयपुर, दिनांक:-14.02.24

कार्यालय आदेश 02/2024

विषय:- कार्यालय आदेश 09/2021 दिनांक 04.06.2021 में संशोधन बाबत।

कार्यालय आदेश 09/2021 दिनांक 04.06.2021 के विन्दु संख्या 7 को प्रत्याहृत कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

6(xix)वाहन स्वामी द्वारा फिटनेस नवीनीकरण हेतु आवेदन राज्य में स्थापित किसी भी फिटनेस सेन्टर पर किया जा सकेगा। परिवहन कार्यालय में वाहन की फिटनेस नवीनीकरण हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा परन्तु अगर किसी राजस्व जिले में प्राईवेट फिटनेस सेन्टर स्थापित नहीं हो अथवा बंद कर दिये जाने अथवा निलंबन/निरस्तीकरण की स्थिति में अल्पावधि हेतु परिवहन आयुक्त द्वारा इस बाबत आदेशित किये जाने पर वाहनों के यांत्रिकी निरीक्षण एवं फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने का कार्य परिवहन कार्यालय द्वारा संपादित किया जा सकेगा।


  
(डॉ. मनीषा अरोड़ा)

आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा

क्रमांक:-एफ7(53)/परि/नियम/मु./2020/कमेटी/1577/2161-68 जयपुर, दिनांक:-14.02.24

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा।
3. निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय सॉफ्टवेयर में उक्तानुसार प्रावधान 3 दिवस में करवाया जाना सुनिश्चित करें।
8. रक्षित पत्रावली।

  
अपर परिवहन आयुक्त (नियम)